



Fundamental Rights III

(मौलिक अधिकार)

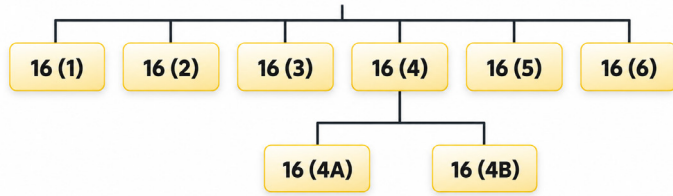


Shubham Gupta Sir

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता



16 (1)

- सरकारी नौकरी व नौकरी की शर्तें ⇒ अवसर की समानता

16 (2)

- सरकारी नौकरी में "केवल" निम्न आधार पर भेदभाव नहीं
 - धर्म
 - मूलवंश
 - जाति
 - लिंग
 - उद्भव
 - जन्मस्थान
 - निवास

16 (3)

- संसद
 - निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है।
 - सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, 1957
 - वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं। लेकिन यह अनुच्छेद 16(3) के तहत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 371 (D) के तहत है।
 - संसद "निवास" (Residence) के आधार पर शर्त लगा सकती है, लेकिन "जन्म-स्थान" (Place of Birth) के आधार पर नहीं।

16 (4)

- राज्य ⇒ सरकारी सेवाओं ⇒ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण
- घटना
 - अनुच्छेद 340 - राष्ट्रपति
 - काका कालेलकर आयोग (1953)
 - बी. पी. मंडल आयोग (1979)
 - वी. पी. सिंह (1990) → OBC → 27% आरक्षण
 - पी.वी. नरसिम्हा राव (1991) → EWS → 10% आरक्षण
- वाद ⇒ इंदिरा साहनी (16 नवंबर 1992 → 9 जजों की संविधान पीठ)
 - आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण → अवैध
 - 27% OBC आरक्षण → संवैधानिक रूप से वैध
 - कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए
 - पदोन्नति में आरक्षण नहीं
 - 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत
 - SC/ST के पिछड़ेपन को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित माना गया। पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अलग से कोई 'मात्रात्मक आंकड़े' देने की आवश्यकता नहीं है।
 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना

राम नंदन समिति (1993)

- क्रीमी लेयर : ओबीसी पर लागू
- पदोन्नति के मामले में SC और ST वर्ग पर भी 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू होगा।
- 1993 में ₹1 लाख थी, जिसे 2017 में बढ़ाकर 8 लाख कर दिया

16(4)(A)

- 77वाँ संविधान संशोधन 1995
- SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण

16(4)(B)

- 81वाँ संविधान संशोधन 2000
- आरक्षण में "कैरी फारवर्ड नियम"
- बैकलॉग सीटों पर 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा लागू नहीं होती
- वाद
 - एम. नागराज (2006)
 - 16 4(A) तथा 16 4(B) → वैध
 - आरक्षण का आधार
 - 'क्रीमी लेयर' → SC/ST हेतु भी होनी चाहिए।
 - जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता (2018)
 - SC व ST में भी क्रीमी लेयर
 - 'पिछड़ेपन' → डेटा की शर्त समाप्त
 - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता → डेटा की शर्तें बरकरार

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) → राज्य सरकारें SC/ST सूची के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचे।

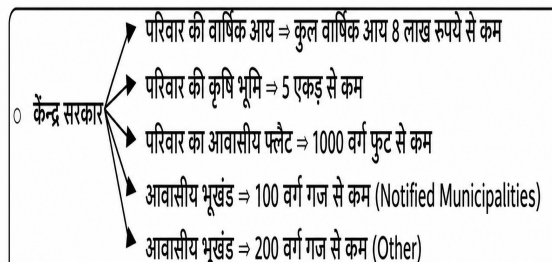
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए गठित 'जस्टिस जी. रोहिणी आयोग' (अक्टूबर 2017)

16 (5)

धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पदों के लिए उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की अनुमति

16(6)

- एस. आर. सिन्हो आयोग (2006) → 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण → 10% आरक्षण



वर्ग / श्रेणी	आरक्षण
(SC)	15%
(ST)	7.5%
(OBC)	27%
EWS	10%
कुल	59.5%

- जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) ⇒ 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को वैध ठहराया
 - गरीबी अपने आप में पिछड़ेपन का एक कारण है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाए।
 - न्यायालय : 50% की सीमा कोई 'अपरिवर्तनीय या कठोर नियम' (Inflexible rule) नहीं है।

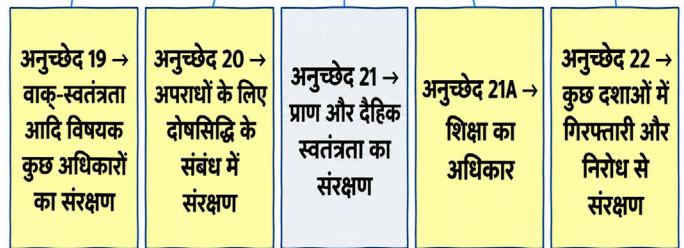
अनुच्छेद 17 → अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन की व्यवस्था

1. अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability)
2. अस्पृश्यता → एक दंडनीय अपराध
3. पूर्ण अधिकार (Absolute Right) : यह 'निरपेक्ष' है। इसका कोई अपवाद नहीं है।
4. निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू : यदि कोई आम नागरिक भी छुआछूत का आचरण करता है, तो वह भी दंड का भागी होगा।
5. संविधान में 'अस्पृश्यता' परिभाषित नहीं
6. अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने वाले कानून
 - अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 → नाम में बदलाव (2 सितंबर 1976) → नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
7. मैसूर उच्च न्यायालय : देवरजैया बनाम बी. पद्मना (1958) :-
 - सामाजिक कुप्रथा, जिसमें कुछ जातियों या वर्गों को उनके जन्म के कारण हीन या अछूत माना जाता है।
 - यदि किसी व्यक्ति का उसके बुरे आचरण या किसी छूत की बीमारी के कारण समाज से बहिष्कार किया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय 'अस्पृश्यता' नहीं माना जाएगा।

18 (4)

सरकारी नौकरी' पर आसीन कोई भी व्यक्ति (भारतीय या विदेशी) राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट (Present), उपलब्धि (Emolument) या पद

- ❖ अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) के विपरीत, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन वर्तमान में कोई दंडनीय अपराध नहीं है
- ❖ विदेशी संस्थाओं (जैसे नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे आदि) से मिलने वाले पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं
- ❖ बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) → राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधि' (Titles) के दायरे में नहीं आते
- ❖ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इन नामों का प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे (Prefix या Suffix) नहीं कर सकते।
- ❖ अनुच्छेद 18 केवल उन 'उपाधियों' (Titles) पर रोक लगाता है जो अनुवांशिक (Hereditary) हैं या जो अंग्रेजों द्वारा सामंती और कृत्रिम भेदभाव (जैसे- महाराजा, राजबहादुर, दीवान) पैदा करने के लिए दी जाती थीं।

स्वतंत्रता का अधिकार**अनुच्छेद 19 से 22 (Articles 19 to 22)****अनुच्छेद 18 → उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)****18 (1)**

राज्य → केवल सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।।

18 (2)

कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि (Title) स्वीकार नहीं करेगा।

18 (3)

कोई विदेशी नागरिक जो भारत राज्य के अधीन कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19 → वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण**1. संपत्ति के अधिकार का विलोपन**

- प्रारंभ में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सात अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, इसलिए अब छह अधिकार हैं।
- अनुच्छेद 19(1)(f) → 'संपत्ति को खरीदने का अधिकार'
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 → एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A)

2. अधिकारों की प्रयोज्यता (Applicability)

- केवल भारतीय नागरिकों और कंपनियों के शेरधारकों को प्राप्त हैं।
- विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं
- अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाहियों के खिलाफ संरक्षित हैं, न कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ।
- अनुच्छेद 358 → राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यह प्रावधान केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं।

3. उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- ये अधिकार असीमित (Absolute) नहीं हैं।
- राज्य अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में उल्लिखित विशिष्ट आधारों पर इन अधिकारों पर 'उचित प्रतिबंध' लगा सकता है।

अनुच्छेद 19: वाक् आदि की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण



19(1)(a) – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अपने या दूसरों के विचारों को किसी भी माध्यम (बोलकर, लिखकर, छापकर) से व्यक्त करने की आज़ादी।

- प्रेस तथा व्यावसायिक विज्ञापन
- पूर्व-प्रतिबंध (Pre-censorship) लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार।
- सूचना का अधिकार
- सोशल मीडिया तथा इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार
- फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार।
- शांति का अधिकार (चुप रहने का अधिकार)
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार

- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार।
- अपनी लिंग पहचान (Gender Identity) व्यक्त करने का अधिकार।
- लगाए गए आरोपों या आलोचना का जवाब देने का अधिकार।
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त (Background)।
- प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार (हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं)।
- किसी संगठन द्वारा जबरन आयोजित 'बंद' के खिलाफ अधिकार।
- राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।

19(2) → वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार

- भारत की संप्रभुता और अखंडता (16 संशोधन अधिनियम, 1963)
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (प्रथम संशोधन, 1951)
- सार्वजनिक व्यवस्था (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951)

- शीलता या नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना और मानहानि
- किसी अपराध के लिए उकसाना (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951)

19(1)(b) → शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता

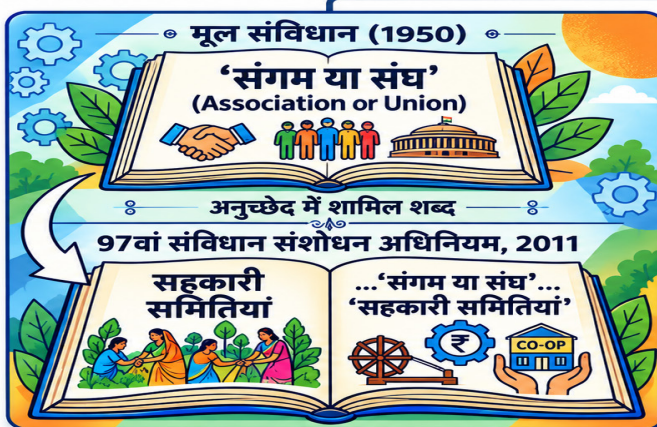
शांतिपूर्वक → सार्वजनिक बैठक (Public Meetings), प्रदर्शन (Demonstrations) और जुलूस (Processions)

19(3) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)भारत की संप्रभुता और अखंडता
(Sovereignty and Integrity of India)लोक व्यवस्था
(Public Order)गैर-कानूनी जनसमूह (Unlawful Assembly BNS की धारा 189) :
पाँच या उससे अधिक लोगों की सभा को कुछ आधारों पर 'गैर-कानूनी' (Unlawful) माना जाएगा।मजिस्ट्रेट की शक्ति (BNSS 163) :
यदि किसी सभा या प्रदर्शन से मानव जीवन को खतरा है, या दंगा भड़काने की स्पष्ट आशंका है, तो मजिस्ट्रेट इस पर पाबंदी लगा सकता है।

- BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) and BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
- अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत भूख हड़ताल (Hunger strike) करने के अधिकार को भी शामिल माना गया है।

19(1)(c) → संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार

शांतिपूर्ण ढंग से 'संगम, संघ या सहकारी समितियाँ' (Associations, Unions or Co-operative Societies) बनाने का अधिकार

**19(4) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)**

- ☐ भारत की संप्रभुता और अखंडता
- ☐ सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- ☐ सदाचार या नैतिकता (Morality)
- ☐ हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं
- ☐ अनुच्छेद 33 → सशस्त्र बलों पर विशेष प्रतिबंध
- ☐ संघ या संगठन को सरकार से 'मान्यता' प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं

19(1)(d) → अबाध संचरण का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को "भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध (बिना किसी बाधा के) संचरण करने का अधिकार"

19(5) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

- ☐ साधारण जनता के हित में → सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के नियम
- ☐ 'अनुसूचित जनजाति' (ST) के हितों के संरक्षण → अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP)

- सर्वोच्च न्यायालय ने 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' (1978) के मामले में स्पष्ट किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के तहत संरक्षित है।
- कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश (1964): वेश्याओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र में घूमने और उनके निवास पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है।
- खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963): रात के समय पुलिस का किसी संदिग्ध के घर जाकर बार-बार उसकी निगरानी करना (Domiciliary visits) व्यक्ति के 'अबाध संचरण' और निजता के अधिकार का हनन है।

19(1)(e) → निवास करने और बस जाने का अधिकार

देश के सभी नागरिकों को "भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार"

निवास करना (To Reside)
→ अस्थायी रूप से रहना।

19(5) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)

बस जाना (To Settle) :
घर बनाना और वहाँ स्थायी रूप से जीवन यापन करना।

- ☐ साधारण जनता के हित में → सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के नियम
- ☐ 'अनुसूचित जनजाति' (ST) के हितों के संरक्षण → अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP)

- अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 19(1)(e) आपस में जुड़वाँ भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये दोनों 'एक ही अधिकार के दो पहलू' हैं, क्योंकि इंसान जहाँ घूमेगा, वहीं तो रुकेगा या बसेगा। यही कारण है कि इन दोनों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के आधार [अनुच्छेद 19(5)] बिल्कुल एक समान हैं।
- किसी स्थान पर 'बसने' का अर्थ यह नहीं है कि आपको वहाँ संपत्ति 'खरीदने' का मौलिक अधिकार मिल गया है।
- अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने से पहले, जम्मू-कश्मीर में स्थायी रूप से बसने या अचल संपत्ति (Land/Property) खरीदने के अधिकार से वंचित थे। लेकिन अब यह संवैधानिक बाधा समाप्त हो गई है, और अनुच्छेद 19(1)(e) वहाँ भी पूर्ण रूप से लागू होता है।

19(1)(g) → वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा (Profession), व्यवसाय (Occupation), व्यापार (Trade) या कारोबार (Business) करने का मौलिक अधिकार

19(6) → युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)



- ✓ साधारण जनता के हित में → अवैध, अनैतिक या खतरनाक व्यापार (तस्करी, खतरनाक ड्रग्स या विस्फोटकों)
- ✓ राज्य किसी विशेष पेशे या व्यापार को करने के लिए आवश्यक अर्हताएँ (Qualifications) निर्धारित कर सकता है।
- ✓ राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष व्यापार या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं संचालित करे

- 'व्यापार बंद करने का अधिकार' पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। यह श्रम कानूनों द्वारा विनियमित होता है
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शराब या नशीले पदार्थों का व्यापार करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है।
- इसके अंतर्गत एक नागरिक को सड़क किनारे रेहड़ी (Street Hawking) लगाने से लेकर कोई बड़ी कंपनी स्थापित करने तक का अधिकार है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय वाद

1. प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े वाद

● रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)

निर्णय: 'वाकू एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में प्रेस की स्वतंत्रता और विचारों के प्रसार का अधिकार शामिल है। केवल सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक देश की सुरक्षा को सीधा खतरा न हो।



● बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950)

निर्णय: समाचार-पत्र पर पूर्व-सेंसरशिप अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है।

● बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972)

निर्णय: अखबारी पृष्ठों की संख्या सीमित करना प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है।

2. इंटरनेट और डिजिटल अधिकारों से जुड़े आधुनिक वाद

● श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

निर्णय: IT Act की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'शीतल प्रभाव' डालने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया।



● अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)

निर्णय: इंटरनेट के माध्यम से वाकू एवं अभिव्यक्ति और व्यापार का अधिकार संरक्षित है; इंटरनेट बंद करने के आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

3. राजद्रोह, आलोचना और असहमति से जुड़े वाद

● केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)

निर्णय: राजद्रोह प्रावधान की संवैधानिकता बरकरार रही, लेकिन इसका प्रयोग केवल हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा पहुंचाने पर किया जा सकता है।



4. अन्य महत्वपूर्ण अधिकार (हड़ताल, प्रदर्शन आदि)

● टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (2003)

निर्णय: सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का मौलिक, वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है।



● नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004)

निर्णय: राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।

● पीयूसीएल (PUCL) बनाम भारत संघ (2003)

निर्णय: मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षिक पृष्ठभूमि की जानकारी पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 20 → अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

20(1)



कार्यन्तर विधियों से संरक्षण
(Protection against Ex-Post-Facto Laws)

20(2)



दोहरे दंड से संरक्षण
(Protection against Double Jeopardy)

20(3)



स्व-अभिशंसन से संरक्षण
(Protection against Self-Incrimination)

20(1)



- किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य न किया हो जो उस कार्य के किए जाने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन हो।
- किसी व्यक्ति को उस सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, जो उस अपराध के किए जाने के समय लागू कानून के तहत निर्धारित थी।

💡 महत्वपूर्ण तथ्य

- केवल आपराधिक कानूनों (Criminal Laws) पर लागू → 'भूतलक्षी विधान' (Retrospective Legislation) या पूर्व-व्यापी कानून नहीं।
- यदि कोई नया कानून किसी अपराध की सजा को कम करता है, तो अपराधी उस नए कानून का लाभ मांग सकता है।
- यदि सरकार मुकदमे की प्रक्रिया (Trial Procedure) या कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में कोई बदलाव करती है, तो उसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है।

20(2) — दोहरे दंड से संरक्षण

- एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार **'अभियोजित और दंडित'** (Prosecuted and Punished) नहीं किया जाएगा।
- यह न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत **'Nemo debet bis vexari'** पर आधारित है।



20(3) — स्व-अभिशंसन से संरक्षण

- किसी भी अपराध के आरोपी को **स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने** के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- यह सुरक्षा केवल न्यायालयों या न्यायिक/अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है।
- किसी सरकारी कर्मचारी को कोर्ट द्वारा सजा मिलने के बाद, उसका विभाग उसे नौकरी से निकाल सकता है। इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा।
- एक ही कृत्य से दो अलग-अलग अपराध बनते हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग मुकदमा चलाया जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला (Prosecuted), लेकिन वह बरी हो गया (Not Punished), तो अनुच्छेद 20(2) उसे दोबारा अभियोजित होने से स्वतः नहीं बचाता।
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता।



सत्यमेव जयते

व्यक्ति की स्वतंत्रता
हमारे संविधान की आत्मा है।

सबसे चर्चित उदाहरण:

वोडाफोन टैक्स केस (2012)

प्रतिगामी प्रभावों के लिए **भूतलक्षी कर** (Retrospective Taxation) एक क्लासिक उदाहरण है।



विवाद:

भारतीय आयकर विभाग ने वोडाफोन पर भारत में संपत्तियों के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण के लिए टैक्स लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2012):

उस समय मौजूद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विदेशी कंपनी के ऐसे सौदे पर भारत में टैक्स नहीं लगाया जा सकता था।



सरकार का कदम:

सरकार ने संसद में वित्त अधिनियम 2012 पारित कर आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया और इसे **1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया।**



अर्थ: अब कानून वोडाफोन को टैक्स देने के लिए बाध्य करता था।